

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तरांचल UTTARANCHAL

पास- 26

§ निबन्ध -4 के देखिये।

00AA 335684



49 सल्ट

§ निर्वाचन क्षेत्र मे।

§ निर्वाचन क्षेत्रम्बी नाम।

उत्तरांचल

§ नदन का नाम। के लिए निर्वाचन के लिए

रिटनिंग अधिकार के समक्ष अम्बथी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला शब्धत्र

सुरेन्द्रसिंह जीना

प्रतापसिंह जीना



अथ 42 में वर्ष जो जम्मू मुलीगाव पो नरुतौरा प्रिण्जिसेण का/बी निवासी हैं और उबराक निवाचिन मे अम्बथी हूँ नदबधिन मे प्रतिलिपि करता हूँ। शब्धत्र निम्नलिखित कथ करता हूँ:-

1- कि मे से कितो लम्बित मामले मे दंडे वर्ष वा अधिक के कारावात मे दण्डजोब कितो उबराध का अभिज्ञत नहो हू। जिनमे मुद्दमअधिकारिता वाले न्बाबालब द्वारा आरोप बिरेचित किवा गवा हे/किये गये हू।

बदि अम्बथी से कितो उबराध/उबराधो का अभिज्ञत हे तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा

1- मामला/बधम नचना रिपोर्ट नदबा-संख्या-... जिला/जिन... राज्ज

2- मुनिषित अधिनियम/अधिनियमो को धारा/आरए और उबराध/उबराधो का संधिषत बिबरण किन्को जिनके लिए अम्बथी आर बिरेचित किवा गवा हे

3- न्बाबालब किन्को/किन्को द्वारा आरोप/आरोपो का बिरेचनी को गवा

4- तारोब/तारोबे जिनको आरोप बिरेचित किवा गवा था/किर गये थे

5- जवा नरी वा कोड काबवाही कितो समक्ष अधिकारिता वाले न्बाबालब द्वारा रोको गवा हे

2- मुद्दे कितो उबराध/उबराधो लोह प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का/38 को धारा 8 की उबधारा-... वा 20 मे निदिष्ट वा उबधारा 33 के अन्तगत आने वाले कितो उबराध/उबराधो मे भिन्न के लिए निदोष ठहरावा गवा हे/नहो ठहरावा गवा हे और एक वर्ष वा अधिक के लिए कारावात मे दंडादिष्ट किवा गवा हे/ नहो किवा गवा हे।

बदि अम्बथी उभुक्त स्व मे निदोष ठहरावा गवा और दंडादिष्ट किवा गवा हे तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा।

1- मामला/बधम नचना रिपोर्ट नदबा-संख्या-... जिला/जिन...

2- न्बाबालब किन्को दंडित किवा हे

Jeeve



उत्तरांचल UTTARANCHAL

— 2 —

00AA 335682



3] बुलित धाना/धाने] ----- जिला/ज़िलेक ----- राज्य लड़ी

4] संबंधित अधिनिबन्ध अधिनिबन्धों] को धारा/धरारं] और उत अवरउध
[उ] अवरार्थीका संबंधित धिवर ध] जितके [त्रिनके] लिख अम्बधों कमी
अरोषित किया गया है। ----- लड़ी

5] तारोख/तारोखे] त्रिनका दंडादेश मुनाबा गया था/मुनारं गये थे ----- लड़ी

6] क्या दंडादेश तथम अधिकारी का आदेश न्वाबालक द्वारा लोका गया है /
रोके गये हैं। ----- लड़ी

स्थान : शालीखेत

तारोख : 09/01/2012

अभिधाधी के हस्ताक्षर] Signed by [Name] [Signature]

तत्वाक

मैं अवर नामित अभिधाधी बह तत्वाकित और घोषित करता/करती हूँ कि इन
गणधन को अंतबस्तु संबंधिततम ज्ञान और विश्वास के अनुसार तत्वाक और लही है।
और इनका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई बात छिपाई नहीं गयी है।

(English text from the bottom left of the page, partially obscured)
I, the Depositor, do hereby declare that the Contents of this Affidavit are True with ...
the Depositor, who is mentioned by ...
at ...
Date: 09/01/2012
at ...

अभिधाधी के हस्ताक्षर] [Signature]

Y. C. JOSHI

49 सेंट

निर्वाचन क्षेत्र से

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

इतिसादत (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष
अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ-पत्र

मैं सुरेश सिंह जीना पुत्र/पुत्री/पत्नी प्रताप सिंह जीना
आयु 42 वर्ष जी.प्र.प. सदरगाव, पो. तुशचौरा, त्रिवेणी नदी का/की निवासी हूँ
और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ/शपथ पर
निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ :-

1- मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध
(अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित
किया गया है/किए गए हैं ।

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी
प्रस्तुत करेगा/करेगी):

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं नई

(ii) पुलिस थाना (थाने) जिला (जिले) राज्य

(iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धारएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त
विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है नई

(iv) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई नई

(v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था/किए गए थे नई

(vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई
है/हैं नई

मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (1951) (1951 का 43) की धारा 8
की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध
(अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक
के लिए कारावास से दंडादिष्ट किया गया है/नहीं किया गया है ।

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह
निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा)

(i) मामला प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं नई

(ii) न्यायालय, जिसने दंडित किया है नई



(iii) पुलिस थाना (थाने)..... जिला (जिले)..... राज्य..... राड़ी

(iv) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी कमी आरोपित किया गया है..... राड़ी

(v) तारीख (तारीखें) जिनको दंडादेश सुनाया गया था/सुनाए गए थे..... राड़ी

(vi) क्या दंडादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/रोके गए है..... नहीं

स्थान: राड़ित
तारीख: 01/01/2012

[Signature]
अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

सत्यापन



मैं ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता/करती हूँ कि इस शपथपत्र की अंतर्गत मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्त्विक बात छिपायी नहीं गई है।

राड़ित स्थान पर आज तारीख 01/01/2012 को सत्यापित किया।

[Signature]
अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

टिप्पणी: इस प्ररूप के वे स्तंभ, जो अभिसाक्षी को लागू नहीं है, काट दिए जाएं।

solemnly Affirmed before me
the Deponent Shri. Suresh Chandra Singh
S/o Pratap Singh residing at Post Rankhet, Distt. Raibareilly, U.P.
has taken Oath from Shri. Suresh Chandra Singh
that the Contents of this Affidavit are
True with have been explained to
the Deponent Shri. Suresh Chandra Singh
by K. C. Joshi on 01/01/12
at Rankhet.

Y. C. JOSHI
9/1/12